



राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरु

दिनांक : 11-11-2021

क्रमांक : प्र.गा.स./2021/168/2021

प्रशासन गावा क संग अधिदान 2021

निर्णय:-  
आदेश

प्रार्थी श्री..... हाकम अली खां..... पुत्र/पुत्री/पत्नी..... असर खां.....  
ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम..... खारिया..... पटवार मण्डल..... बीनासर.....  
तहसील चूरु जिला चूरु की चालू जमाबन्दी सम्वत् 2071-74..... के खाता संख्या..... 100..... में  
खातेदार/मैस खातेदार का नाम/जाति..... अबरु खां..... अंकित है जो सम्मानजनक नहीं है।  
जिसे सम्मानजनक रूप से..... असर खां..... अंकित किया जावे। प्रार्थी के आवेदन  
पत्र की जांच पटवारी हल्का..... बीनासर..... से करवाने पर पटवारी ने..... अबरु खां..... के  
बजाय..... असर खां..... करना उचित बताया। तहसीलदार, चूरु ने भी उक्त खाते में..... अबरु खां.....  
के बजाय..... असर खां..... करना उचित बताया।

अतः पटवारी एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 एवं नियम  
369 राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम 1957 के अन्तर्गत ग्राम..... खारिया.....  
के खाता संख्या..... 100..... में खातेदार/मैस खातेदार का नाम/जाति..... अबरु खां.....  
के स्थान पर सम्मानजनक रूप से..... असर खां..... दर्ज करने के आदेश दिया जाता है। तहसीलदार,  
चूरु तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दुखस्ती करें।



उपखण्ड अधिकारी,  
(Land Record Officer)  
चूरु

